पुनः संचरित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम योजना (आरएपीडीआरपी)

विद्युत वितरण कंपनियों में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश

- **आरएपीडीआरपी पार्ट–ए** उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने व कार्य प्रणाली का पारदर्शी व प्रमाणिक वेबसाईट पर ऑन लाईन डेटा उपलब्ध कराने व समस्याओं का त्वरित निदान करने एवं उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करने के लिए केन्द्र सरकार की आर–एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत राजस्थान ने पहल करते हुए भारत सरकार से इस योजना की स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

- केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को फरवरी 2009 में लागू किया गया था। इस योजना में 30000 से अधिक आबादी वाले 87 कस्बो व नगरो में योजना को लागू करने का प्रावधान है जबकि राजस्थान में अनूठा कदम उठाते हुऐ इसे सभी ग्रामीण क्षेत्रो में भी समान रुप से लागू करने की योजना बनाई है।

- इस योजना से ऊर्जा का सही व स्वचालित अंकेक्षण के साथ अच्छी वोल्टेज व कृषि को 8 घंटे सप्लाई की प्रत्येक स्तर पर स्वतः निगरानी हो सकेगी। इस योजना के पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर विद्युत व्यवस्था की पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी व वितरण तंत्र के प्रबन्धन में उनकी सहभागिता को भी प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

- राज्य सरकार की ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना और सूचना प्रौद्योगिक योजना के सम्मिलित प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी अपने समीपस्थ 33 के वी ग्रिड सब स्टेशन पर सभी आवश्यक सुविधाए सहायक अभियंता कार्यालय की तरह ही प्राप्त हो सकेगी, जैसे नए कनेक्शन के लिए आवेदन, बिजली के बिलो व बिजली की आपूर्ति में व्यवधान एवं अन्य समस्याओं का समाधान आदि प्राप्त हो सकेगा और उन्हें दूरी पर स्थित सहायक अभियंता के कार्यालय तक नहीं जाना पडेगा।

कुल स्वीकृत स्कीम इस प्रकार हैः–

डिस्कॉम	कुल कस्बों की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपये करोड)	RAPDRP dLcs (रूपये करोड)	NON-RAPDRP ग्रामीण क्षेत्र (रूपये करोड)	कुल राशि (रूपये करोड)
जयपुर	27	163.52	181.80	51.89	233.70
अजमेर	29	52.03	71.31	97.40	168.72
जोधपुर	31	100.38	42.12	83.65	125.78
कुल	87	315.93	295.24	232.95	528.20

- इस योजना का कार्य मैसर्स एच.सी.एल. इन्फो सिस्टम को 30 सितम्बर 2009 को दे दिया गया है। यह योजना मार्च, 2014 तक पूरी होगी।

  - 30 सितम्बर, 2010 तक पायलट क्षेत्र प्रत्येक वितरण निगम का एक वृत क्षेत्र में जी. आई.एस. सॉ्फटवेयर व हार्डवेयर की स्थापना व कनेक्टीविटी स्थापित कर गो–लाईव करना था।

  - भारत सरकार द्वारा अब इस योजना के क्रियान्वन की अवधि तीन वर्ष से बढाकर पाँच वर्ष कर दी गई है। अब इस योजना को जून–15 तक पूरा किया जाना लक्षित है।

  - 6 कस्बों को नवम्बर, 2013 तक गो–लाईव घोषित किया गया है, शेष कस्बों का कार्य जून–2015 तक पूरा किया जाना सम्भावित है।

स्कॉडा पार्ट

  - स्कॉडा पार्ट में राजस्थान ने पांच शहरों जिनकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक व 350 करोड यूनिट प्रति वर्ष से अधिक विद्युत खपत है की योजना पी.एफ.सी. द्वारा 31.03.2010 को स्वीकृत की गई है, इसमें जयपुर की योजना 52.32 करोड़ रुपये, कोटा की योजना 24.60 करोड़ रुपये, अजमेर की योजना 21.49 करोड़ रुपये, जोधपुर की योजना 32.77 करोड़ रुपये व बीकानेर की योजना 25.93 करोड़ रुपये की है। कुल 157.11 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है। स्काडा स्थापना के लिए मै. कल्की कम्यूनिकेशन, बैंगलोर को सलाहकार नियुक्त किया गया था।

  - निविदाओं द्वारा 95 करोड रूपये का कार्य आदेश 31 जुलाई, 2012 को M/s Dongfang को जारी कर दिया गया है और यह कार्य फरवरी–2015 तक पूरा होना अपेक्षित है।

डिस्कॉम	स्वीकृत योजना (रूपये करोड में)	कार्यादेश राशि (रूपये करोड में)
जयपुर	102.95	46.07
अजमेर	21.49	11.69
जोधपुर	25.77	37.09
कुल	157.11	94.86

- **आरएपीडीआरपी पार्ट–बी** में वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने व विद्युत छीजत कम करने की योजना है इससे उपभोक्ताओं को अच्छी वोल्टेज की गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो पायेगी। केन्द्र ने 15 प्रतिशत से ज्यादा विद्युत छीजत वाले 82 शहरों की 1540.50 करोड़ रुपये की योजनाऐं स्वीकृत की है।

  - 82 योजनाओं में से 27 योजनाओं के टर्न–की पर व 54 योजनाओं के कार्यादेश सी. एल.आर.सी. के अंतर्गत दे दिये गये है । सभी योजनाओं के कार्य मार्च–2015 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है। जोधपुर डिस्कॉम के आबू रोड कस्बे की विद्युत छीजत TPIEA-EA द्वारा जाँचने पर 15 प्रतिशत से कम होने के कारण स्कीम से हटा दिया गया है।

  - मैसर्स वोयंत सोल्यूशन्स प्रा0 लिमिटेड गुडगाँव, को पी.एफ.सी द्वारा विद्युत छीजत को प्रमाणित करने हेतु TPIEA-EA नियुक्त किया गया था जिसने सितम्बर 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इसके बाद कार्य हेतु टर्न की व सी.एल.आर.सी. को कार्यादेश देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

    स्कीम की विशेषताऐं

    1. 11 केवी के सब स्टेशन और ट्रांसफॉर्मर के रेनोवेशन का कार्य।
    2. 11 केवी और एल.टी लाईनों को उच्च क्षमता के तारों द्वारा बदलना।
    3. कैपेसिटर बैंक और मोबाईल सर्विस सेन्टर स्थापित करना।
    4. आबादी वाले क्षेत्रों में विद्युत रोधी रेबिट कन्डक्टर लगाना।
    5. नये 33 केवी सब स्टेशन बनाना।
    6. खराब सर्विस लाईनों को आरर्मड केबल के द्वारा बदलना।

    स्कीम के लाभ

    1. उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को बढाना।
    2. उपभोक्ता को दी जाने वाली विद्युत सप्लाई में आने वाले व्यवधानों को दूर करना।
    3. फीडर एवं डीटी स्तर पर विद्युत छीजत का आंकलन करना।

    इस योजना का कार्य स्वीकृत होने के तीन वर्ष के भीतर पूरा हो किया जाना लक्षित है। सभी कस्बों की विद्युत छीजत का स्तर TPIEA-EA द्वारा सितम्बर 2011 में प्रमाणित किया जा चुका है। यह कार्य मार्च 2016 तक पूरा करना लक्षित है।